राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(बईजलास : चेतन देवडा आई.ए.एस.)

प्रकरण सं.–02 / 2018

दायर दि. 02.02.2018
निर्णय दि. 28.08.2019

1. श्री शंकर पिता सेवा जोगी (मृतक) के वारिसान कायम मुकाम
   1 / 1. श्री मणीलाल पिता शंकर जोगी
   1 / 2. श्री जयंती पिता शंकर जोगी
   1 / 3. श्री गौतम पिता शंकर जोगी
   1 / 4. श्री दिनेश पिता शंकर जोगी
   1 / 5. श्री दिलीप पिता शंकर जोगी
   1 / 6. श्रीमती मुन्ना पुत्र शंकर जोगी
   1 / 7. श्रीमती पुंजी पत्नि शंकर जोगी
2. श्री हिरालाल पिता सेवा जोगी,
3. श्री वेला पिता सेवा जोगी
4. श्री जीवा पिता नाथू जोगी
5. श्री मोगा पिता नाथू जोगी
6. श्री सोमा पिता नाथू जोगी

समस्त निवासीयान ग्राम थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर

–– अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री वेला पिता हेंगा पटेल,
2. श्रीमती वाली पत्नि वेला पटेल
   निवासीयान ग्राम थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर
3. भूमिधारी तहसीलदार, डूंगरपुर
4. पटवारी पटवार हल्का थाणा जरिये तहसीलदार डूंगरपुर

––रेस्पोडेन्टगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत्

उपस्थित :–	1. श्री प्रेमपुरी गोस्वामी	–	अपीलान्टगण
	2. श्री गलाजी पटेल	–	रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2
	3. पैरोकार सरकार	–	रेस्पोडेन्ट सं. 3

:: निर्णय ::

अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत मौजा थाणा के बिलानाम आराजी नंबर 2451 में से रकबा 00–05 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम आवंटित हुई हैं एवं जिसका वर्तमान खसरा नंबर 4336 / 2451 कायम हुआ है, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम थाणा की बिलानाम आराजी नंबर 2451 में से रकबा 00–05 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ जरिये मिसल नंबर 136 / 2008 दिनांक 08.01.2008 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के नाम आवंटित की गई हैं जिसका बटा नंबर 4336 / 2451 कायम हुआ हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

Scanned by CamScanner

के नाम आवंटित उक्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र तैयार करने एवं प्रस्तुत करने की दिनांक अंकित नहीं हैं एवं न हीं यह अंकित किया है कि उक्त प्रार्थना–पत्र कब व किस दिनांक को किसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को किया गया उक्त आवंटन थाणा से धुघरा तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित होकर अपीलान्टगण को पूर्व से आवंटित एवं उनके कब्जे काश्त की भूमि के आगे स्थित हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को आवंटित उक्त भूमि के पीछे अपीलान्टगण के मकानात स्थित हैं जिससे आवागमन में विवाद की संभावना हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का मौके पर कब्जा रोड़ के दुसरी तरफ हैं। अतः रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का आवंटन निरस्त योग्य हैं।

अपीलार्थीगण के उक्त प्रार्थना–पत्र के क्रम में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से वकालनामा प्रस्तुत करते हुए जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

प्रकरण मे उभयपक्षों के आवेदन के क्रम में अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को आवंटित भूमि बाबत मौका रिपोर्ट तहसीलदार डूंगरपुर से तलब की गई। तहसीलदार की रिपोर्ट क्रमांक 1178/राजस्व दिनांक 10.07.2019 प्राप्त हो संलग्न पत्रावली है। दौराने कार्यवाही अपीलान्ट सं. 1 श्री शंकर की मृत्यु होने से उसके वारिसान को मुताबिक प्रार्थना–पत्र रेकार्ड पर लिया गया।

उभयपक्षों की बहस समायत की गई। अपीलान्टगण के योग्य अभिभाषक ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा थाणा की बिलानाम आराजी सं. 2451 में से अपीलार्थीगण को काफी पूर्व में ही रकबा 01–00 बीघा भूमि का आवंटन हुआ हैं जिसकी आराजी संख्या 4269/2451 कायम हुई है तथा इसी प्रकार इस आराजी में रकबा 10 बिस्वा अर्थात् आधा बीघा भूमि भी अवंटित हैं, जिसकी आराजी नंबर 4466/2451 हैं। इस प्रकार उक्त आराजी भूमि में अपीलान्टगण का कुल रकवा 01–10 बीघा भूमि हैं जिस पर प्रार्थीगण काफी वर्षो पूर्व से काबिज काश्त हैं। अपीलान्टगण के परिवार के 7–8 मकानात बने हुए है तथा पेयजल हेतु हेण्ड पम्प व ट्यूबवेल भी है। अपीलार्थीगण द्वारा मेहनत–मजदूरी कर भूमि समतल काश्त योग्य बनाई है एवं बाड़ व बाउण्ड्रीवाल बना काश्त करते हैं। अपीलार्थीगण के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि अपीलान्टगण की उक्त आवंटित खातेदारी भूमि के आगे ही आवागमन एवं सडक मार्गाधिकार की भूमि में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को रकबा 05 बिस्वा भूमि का आवंटन/चित्रण कर देने से इसे लेकर पक्षकारगणों में विवाद हैं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का वास्तविक कब्जा सड़क के दुसरी तरफ स्थित हैं जहां उनका निर्माण होकर काश्त कब्जा हैं। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के राजस्व नक्शे में वर्तमान चित्रण को निरस्त किया जाकर, रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के वास्तविक कब्जे के आधार पर राजस्व नक्शे में चित्रण किया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अतः अपीलार्थीगण के कब्जे काश्त पर अपीलान्ट के आवंटन का चित्रण किया जावे एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के आवंटन का उनके कब्जे काश्त की जगह चित्रण किया जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का मौजा थाणा की आ.नं. 2451 में पुराना काश्त कब्जा होने से रकबा 5 बिस्वा भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त हैं। आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की दो दुकानें बनी हुई है तथा भूमि को समतल कर काश्त योग्य बनाते हुए उसमें बोरवेल खोदा हैं, जिस पर विद्युत कनेक्शन लेकर संब्जियां उगाई जाती है। रेस्पोडेन्ट स. 1 व 2 के योग्य अभिभाषक का आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण को पूर्व से ही आवंटित एवं कब्जे काश्त की भूमि के आगे 5 बिस्वा कथित पैमूदगी से उनका कोई लेना–देना नहीं हैं बल्कि उन्हें तो सड़क पार जहां उनका पुराना कब्जा काश्त होकर निर्माण हैं वही पर आवंटन होने से नक्शे में पैमूदगी की जावें।

उभयपक्षों की बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2451 में से रकबा 1 बीघा एवं 10 बिस्वा अर्थात् कुल रकबा 01–10 बीघा अपीलान्टगण को आवंटित होकर उनकी आराजी नंबर क्रमशः 4269/2451 एवं 4466/2451 कायम है। इसी प्रकार ग्राम थाणा की आराजी नंबर 2451 में से रकबा 5 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को आवंटित होकर इसकी नवीन आराजी नंबर 4336/2451 कायम हैं। पत्रावली में प्रस्तुत तहसीलदार डूंगरपुर की रिपोर्ट एवं पर्चा मौका के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्टगण सं. 1 व 2 जहां मौके पर काबिज काश्त है उनके मध्य से थाणा से धुघरा रोड गुजरती हैं। जबकि उक्त रोड के दूसरी तरफ रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 काबिज काश्त हैं। अपीलार्थीगण का खातेदारी तो जमाबंदी में दर्ज हैं परन्तु नक्शे में उनका चित्रण नहीं है तथा जहां रेस्पोडेन्ट श्री वेला को उसे आवंटित भूमि को नक्शें में दर्शा रखा है। वहां रेस्पोडेन्ट श्री वेला का कभी काश्त कब्जा नहीं होकर अपीलान्टगण जोगीयान का कब्जा हैं।

पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071–75 की नकल की अवलोकन से ग्राम थाणा की आराजी नंबर 2451 में रकबा 02–03 बीघा बिलानाम भूमि उपलब्ध हैं।

प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 दोनों को आवंटन समय–समय पर हुआ हैं तथा दोनों ही आवंटित खसरा नंबर में अलग–अलग स्थान पर काबिज है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के आवंटन की तरमीम उस भाग पर कर दी है जिस पर अपीलान्टगण काबिज है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 आवंटित खसरे के दुसरे भाग पर काबिज है एवं दोनों के मध्य थाणा से धुघरा आम रास्ता हैं एवं अपीलान्ट को आवंटित रकबे की राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

हैं। दोनों पक्षकारान अपने–अपने कब्जे काश्त के अनुसार नक्शे में तस्लीम हेतु सहमत हैं।

अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ निरस्तारित किया जाता है कि तहसीलदार डूंगरपुर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की वर्तमान पैमूदगी को विलोपित करे तथा ग्राम थाणा की विलानाम आराजी संख्या 2451 में प्रार्थीगण को आवंटित भूमि रकबा 01–00 बीघा एवं 10 विस्वा कुल 01–10 बीघा जो उसके खातेदारी में दर्ज हैं तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 को आवंटित रकबा 05 विस्वा का उनके कब्जे काश्त अनुसार विधिवत पैमूदगी करे ताकि पक्षकारगणों में विवाद नहीं रहे। निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार डूंगरपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जावें।

(चेतन देवडा)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner